रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082026-275636
CG-DL-E-20082026-275636

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4420]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2026/श्रावण 29, 1948
No. 4420]	NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2026/SHRAVAN 29, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2026

सं. 31/2026-27

विषय: आइटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 17 के एक्सिम कोड 170114 के अंतर्गत वर्गीकृत कच्ची चीनी की आयात नीति में संशोधन और अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम से प्रशुल्क डर कोटा (टीआरक्यू) स्कीम में एक बार परिवर्तन करने के संबंध में।

का.आ. 4600(अ).— समय-समय पर यथा-संशोधित, विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 17 के एक्सिम कोड 170114 के अंतर्गत वर्गीकृत 'कच्ची चीनी' की आयात नीतिगत शर्त में निम्नलिखित संशोधन करती है:

एक्सिम कोड	मद का विवरण	नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
170114	कच्ची चीनी	मुक्त	-	प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के अधीन 10 लाख मीट्रिक टन (शुल्क-मुक्त) तक का आयात दिनांक:31.10.2026 तक नीचे दी गई शर्तों के अधीन, "मुक्त" है।

2. ऊपर उल्लिखित 10 लाख मीट्रिक टन के टीआरक्यू के अतिरिक्त, सिओनई52 के तहत पहले से जारी किए गए अग्रिम प्राधिकार पत्रों को इस अधिसूचना में दी गई तिथि तक ऐसे अग्रिम प्राधिकार पत्रों के तहत आयातित कच्ची चीनी की वास्तविक मात्रा के संबंध में अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम से टीआरक्यू स्कीम में परिवर्तन के लिए एक बार का विकल्प दिया जाता है। इसमें पहले से बनी हुई परिष्कृत चीनी और अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत उपलब्ध आयातित कच्ची चीनी से बनाई जाने वाली परिष्कृत चीनी शामिल है।

3. यह परिवर्तन आयात के समय पर प्राप्त जीएसटी की छूट के भुगतान के अधीन है, वह इस शर्त के साथ है कि आयातित कच्ची चीनी से निर्मित परिष्कृत चीनी को दिनांक 31.10.2026 तक घरेलू बाजार में बेचा जाएगा और ऐसी अन्य शर्तें जो निर्धारित की जा सकती हैं।

4. डीजीएफटी, एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से टीआरक्यू के प्रशासन और अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम से टीआरक्यू स्कीम में एक बार परिवर्तन की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करेगा।

इस अधिसूचना का प्रभाव:

कच्ची चीनी के लिए आयात नीति में दिनांक 31.10.2026 तक टीआरक्यू के तहत 10 लाख मीट्रिक टन शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए संशोधन किया गया है।

इसके अलावा, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, इस अधिसूचना में दी गई तिथि तक आयातित कच्चे चीनी की वास्तविक मात्रा के संबंध में, सिओन ई-52 के तहत पहले से जारी अग्रिम प्राधिकार पत्रों को टीआरक्यू स्कीम में परिवर्तित करने के लिए एक बार का विकल्प प्रदान किया गया है।

इसे माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. . 01/89/180/43/एएम-26/पीसी-2(ए)/[ई-47338]]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2026

No. 31/2026-2027

S.O. 4600(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the import policy condition for 'Raw Sugar' classified under Exim Code 170114 of Chapter 17 of ITC (HS), 2022 — Schedule–1 (Import Policy) as under:

Exim Code	Item Description	Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
170114	Raw Sugar	Free	-	Import is "Free" subject to a Tariff Rate Quota (TRQ) of 10 lakh MT (duty-free) up to 31.10.2026, subject to the conditions specified below.

2. In addition to the TRQ of 10 lakh MT mentioned above, Advance Authorisations already issued under SION E52 are given a one-time option for conversion from the Advance Authorisation Scheme to the TRQ Scheme in respect of the quantity of Raw Sugar actually imported under such Advance Authorisations up to the date of this Notification. This will include refined sugar, already produced and to be produced out the imported raw sugar available under the Advance Authorisation.

3. The conversion is subject to payment of the exempted GST availed at the time of import, condition that the refined sugar manufactured out of the imported Raw Sugar shall be sold in the domestic market by 31.10.2026 and such other conditions as may be prescribed.

4. The DGFT shall specify the procedure for administering the TRQ and the one-time conversion from the Advance Authorisation Scheme to the TRQ Scheme through a Public Notice.

Effect of this Notification:

The import policy for raw sugar is amended to allow 10 Lakh MT of duty-free imports under TRQ till 31.10.2026.

Further, a one-time option is provided for conversion of Advance Authorisations already issued under SION E-52 to the TRQ Scheme, in respect of the quantity of Raw Sugar actually imported thereunder up to the date of this Notification subject to specified conditions.

This is issued with the approval of the Hon'ble Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/43/AM-26/PC-2(A)/ [E-47338]]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA